रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 178] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 11, 2007/चैत्र 21, 1929
No. 178] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 11, 2007/CHAITRA 21, 1929

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2007

सा.का.नि. 283(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल दावा अधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 54) की धारा 30 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. रेल दावा अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1989 की अनुसूची 1 में क्रम सं. 11 के स्तंभ 3 में प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाज़ीपुर, आज़मगढ़, मऊ, बस्ती, सिद्धार्थनगर, मिर्ज़ापुर, रोबर्ट्सगंज, जौनपुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बहराइच, वाराणसी, महाराज गंज, कुशीनगर, श्रावस्ती, संत कबीर नगर, चंदौली, संत रविदास नगर, बलरामपुर और अम्बेडकर नगर जिले।"

[फा. सं. 2005/टी सी (आरसीटी)/4-7/सी ए-III]

बी. एल. मीणा, कार्यपालक निदेशक,
जनशिकायत पदेन संयुक्त सचिव

पाद टिप्पणी:—मूल नियम सा.का.नि. 842(अ) तारीख 19 सितंबर, 1989 के द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् सा.का.नि. 700(अ) तारीख 26-11-1991, सा.का.नि. 438(अ) तारीख 21-4-1992, सा.का.नि. 509(अ) तारीख 15-6-1994, सा.का.नि. 270(अ) तारीख 4-7-1996, सा.का.नि. 59(अ) तारीख 4-2-1997, सा.का.नि. 719(अ) तारीख 15-10-1999, सा.का.नि. 167(अ) तारीख 29-2-2000, सा.का.नि. 513(अ) तारीख 9-7-2001, सा.का.नि. 787(अ) तारीख 2-12-2002, सा.का.नि. 384 तारीख 22-10-2003, सा.का.नि. 66(अ) तारीख 15-2-2006 और सा.का.नि. 498(अ) तारीख 23-8-2006 के द्वारा उनका संशोधन किया गया।

MINISTRY OF RAILWAYS

(RAILWAY BOARD)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2007

G.S.R. 283(E).—In exercise of the powers conferred by Section 30 of the Railway Claims Tribunal Act, 1987 (54 of 1987), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, namely :—

1. (1) These rules may be called the Railway Claims Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Railway Claims Tribunal (Procedure) Rules, 1989, in the Schedule 1 at serial number 11, for the entry in column 3, the following entry shall be substituted namely :—

"Districts of Gorakhpur, Deoria, Ballia, Gazipur, Azamgarh, Mau, Basti, Siddarthnagar, Mirzapur, Robertsganj, Jaunpur, Faizabad, Gonda, Bahraich, Varanasi, Maharaj Ganj, Kushinagar, Shravasti, Sant Kabir Nagar, Chandauli, Sant Ravi Das Nagar, Balrampur and Ambedkar Nagar of Uttar Pradesh."

[F. No. 2005/TC/(RCT)/4-7/CA-III]

B. L. MEENA, Executive Director,
Public Grievances Ex.-Officio Jt. Secy.

Foot Note :—The Principal rules were published *vide* number G.S.R. 842(E) dated the 19th September, 1989, and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 700(E) dated 16-11-1991, G.S.R. 438(E) dated 21-4-1992, G.S.R. 509(E) dated 15-6-1994, G.S.R. 270(E) dated 4-7-1996, G.S.R. 59(E) dated 4-2-1997, G.S.R. 719(E) dated 15-10-1999, G.S.R. 167(E) dated 29-2-2000, G.S.R. 513(E) dated 9-7-2001, G.S.R. 787(E) dated 2-12-2002, G.S.R. 384(E) dated 22-10-2003, G.S.R. 66(E) dated 15-2-2006 and G.S.R. 498(E) dated 23-8-2006.

IndiaCode

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.